

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

राजस्व प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 सरकार बनाम नन्दाराम नारायणराम हणमानराम पुत्रान हुक्माराम गुर्जर त्रिसिंजा तह. कुचामनसिटी

प्रा.पत्र नम्बर 46/2020

GCMS No.2020/00104

तारीख हुक्म


हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तारीख में
जारी हुए

25.05.2022

अप्रार्थी/खातेदारान द्वारा प्रार्थना-पत्र एवं जवाब प्रार्थना-पत्र के साथ शपथ-पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली तलब की गई। जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम त्रिसिंजा के खसरा नम्बर 229/65 में अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि साथ संयुक्त रूप से दर्ज चली आ रही है, माननीय न्यायालय में उक्त प्रकरण में तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध उक्त भूमि के संबंध में प्रकरण प्रस्तुत किया है, उपरोक्त खसरा की भूमि को कृषि से गैर कृषि उपयोग हेतु रूपान्तरण किये बिना उपयोग में लिये जाने के फलस्वरूप प्रकरण अप्रार्थीगण के विरुद्ध माननीय न्यायालय में दर्ज होकर अप्रार्थीगण/सहखातेदारान के विरुद्ध एक-पक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 17.08.2020 को जारी की गई है। अप्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त भूमि में परिवार के पालन पोषण हेतु केवल टीन शेड लगाकर टी-स्टाल लगा रही है तथा अब उक्त भूमि को प्राधिकृत अधिकारी से रूपान्तरित कराना चाहता परन्तु माननीय न्यायालय के द्वारा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से ओर कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है। इसलिए अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा एवं प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में उभय पक्षकार एवं प्रार्थी राजकीय पैरोकार उपस्थित आये, जिन्हे सुना गया। दोनो पक्षों ने अपने-अपने पक्ष में तर्क दिये। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में यह भी नहीं दर्शाया गया है कि किन-किन खातेदारान द्वारा कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन किया गया है, जिसके कारण स्थिति स्पष्ट नहीं है, एवं साथ ही प्रस्तुत शपथ-पत्र पर विश्वास करते हुए तथा उपलब्ध उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र साबित नहीं है। अतः पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 17.08.2020 एवं प्रार्थना-पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act-1955 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।


उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)